रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 29, 1972/श्रावण 7, 1894
No. 175] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 29, 1972/SRAVANA 7, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 23th July 1972*

SUBJECT.—*Licensing conditions applicable to French Credit for 1972-73 both to private and public sectors (Project and Non-Project Portions also).*

No. 112-ITC(PN)/72.—The licensing conditions governing issuance of import licences under French Credit for 1972-73, both to private and public sectors as given in the Appendix to this Public Notice are notified for the information of the trade. These licensing conditions will also be applicable to project and non-project portions.

APPENDIX

*Licensing conditions applicable to French Credit for 1972-73 for Private and Public Sectors (Project and Non-Project portions also).*

1. *Import Licence.*—The import licence will be issued on CIF basis, with initial validity period of 4 *months for ordering* and twelve months for completing shipments. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should

intimate to the Department of Economic Affairs (WEI Section) the fact of receipt of the import licence and furnish supply contract against the licence within the period of validity for ordering. The contract must be furnished alongwith complete documents, stipulated in condition 9 below.

This condition will not be deemed to have been complied with unless complete contract documents are furnished within the stipulated period of 4 months.

Where this stipulation is not complied with within four months, the licence may be presented to the CCI&E/JCCI&E for *revalidation for ordering*, giving reasons why contracting could not be completed within four months. A copy of the letter to the CCI&E/JCCI&E may be sent to the Department of Economic Affairs (WE-I Section).

The request for revalidation would be considered on merits, in consultation with the Department of Economic Affairs, and if accepted, the licence will be revalidated for ordering for a further period not exceeding three months.

2. *Ordering.*—Orders on the basis of *firm prices* have to be placed on the French suppliers for the *whole amount* of the licence.

In the case of allocation for non-project segment of the French credit, normally a *single contract* has to be entered into for the whole amount subject to provision in the following clause. No amendment having financial implications can be subsequently made in the contract.

In the case of import of equipment under the non-project, more than one contract can be entered into subject to permission specifically obtained from the Department of Economic Affairs, giving reasons for doing so before placing orders.

Under the Credit Agreement for 1972-73, Government of India have the option to substitute Buyers' Credit by Suppliers' Credit if such a course is found to be more beneficial. It has, therefore, been considered necessary that Indian importers who have been given allocation of and above FF 5 million from the project portion of the French Credit should invite quotations from French Suppliers for supply of equipment on credit terms mentioned below: Down payment upto 5 per cent of the contract value; repayment of the balance, over a period of 10 years commencing six months after the completion of the shipments and interest rate of, 6 per cent per annum free of Indian income tax inclusive of financing charge if any. The Indian importer should also invite quotations the basis of payment terms indicated in para 6 below. On the basis of this data, Government of India will decide the mode of financing the imports, and advice the importer on the mode he may adopt.

3. *Terms Of Contracts.*—The contract should be placed *in French Francs* on a C.I.F., or C&F basis and should clearly indicate FOB, Freight and Insurance of the contract value separately for each element.

The value should be reckoned at present at the Central rate of one French Franc-Rs. 1.422.

The above rate of exchange is, however, subject to revision, if and when the IMF fixes a different parity between the Indian Rupee and the French Franc.

4. *Value Limits Of Contracts.*—The value of each contract falling in different categories mentioned below should not fall below the amounts indicated against each category:

| | *FF Million* | *(Rs. Lakhs)* |
|---|---|---|
| (i) Large Industrial Projects | 5.00 | (71.100) |
| (ii) Projects for Heavy Equipment | 5.00 | (71.100) |
| (iii) Fertilizers | 0.50 | (7.110) |
| (iv) Capital Goods | 0.20 | (2.844) |
| (v) Other Goods | 0.05 | (0.711) |

5. *Origin Of Goods.*—The goods should be of French origin unless a part thereof is *permitted* by the French authorities to be of non-French origin. A stipulation as to the origin of goods should be incorporated and wherever necessary a letter evidencing approval of the French authorities to the third country imports should accompany the contract. However, if necessary, goods can be shipped from non-French ports.

6. *Payment Terms.*—(i) *Advance Payments.*—An advance payment of 5 per cent of the price of the supplies can be provided at the time of the contract coming into effect, unless any other terms settled between the buyers and the sellers, in accordance with the normal international commercial Practice in this matter, for the particulars type of goods concerned.

However, where an amount higher than 5 per cent is to be provided for payment as an advance, *prior* approval of the Department of Economic Affairs should be obtained, with full justification, before any commitments are made.

(ii) *Other Payments.*—(a) *Industrial Projects.*—Apart from the amount of down payment will be payable *pro rata* according to the value of goods covered by each equipment under the contract, or at the time of *completion of erection*, or on commissioning of the plant.

However, depending on the type of project, the payment for contracts for industrial projects may also be provided for as for the commodities, referred to in (b) below.

(b) *Commodities.*—In the contracts for commodities (light equipment, spares, components, chemicals, fertilizers, raw materials, etc.), the amount left after down payment will be payable *pro rata* accoading to the value of goods covered by each shipment, on the basis of the shipping schedule.

7. *Conditions to be Stipulated in the Contract.*—The contract should suitably incorporate the terms and conditions set out below, apart from those considered necessary by the contracting parties, to make it eligible for financing under the French Credit:—

(i) That the contract is subject to the approval of the Indian and French authorities for financing under the French Credit is terms of the *Indo-French* Financing Protocol, according to which the French Credit would be a combination of a French Treasury loan and a Buyer's Credit. Each contract will be financed equally from both.

(ii) That the suppliers, or their banks will be paid from the French Treasury loan upto the first 50 per cent of the value of the contract and for the remaining 50 per cent payment to them will be made from the Buyers' Credit, in accordance with condition 13 below.

(iii) That the suppliers should present the payment documents in quadruplicate (this may be increased if the importer needs more than one set) to the Banque National de Paris, 16, Boulevard Des Italians, Paris (9e) or the Banque Frenchaise du Commerce Exterieur, 21 Boulevard Hussmann, Paris (9eme), as the case may be, which will arrange for making the necessary payment itself, or through any other agency in France. The presentation of payment documents should be prescribed in each contract. An illustrative list of the documents is given in the Annexure I.

(iv) That the contract value is broken down into FOB cost, Freight and Insurance elements, separately.

(v) That the terms of payments, *e.g.* amount payable on the contract becoming effective, and that payable against shipments/completion of project etc., are set out in precise terms, with details showing the schedule of deliveries/payments.

8. *Customary Guarantee.*—The importer may arrange for obtaining any customary guarantee(s) which may be necessary for safe guarding his interest.

9. *Submission Of Contract Documents.*—Within 20 days of the placing of orders, the importer should send a letter accompanied by the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE-1 Section), North Block, New Delhi:

(i) *Ten* certified copies of the *contract* and any further *amendment(s)* duly executed in English language and signed by both the Indian importer and the French supplier. The order placed by the importer will *not* be construed to constitute a contract without its *acceptance* by the French suppliers. Where the Suppliers' acceptance letter is in French, an English translation of the letter should be provided. In case, where a contract has not been executed as a single document, 10 certified copies of *both* the importer's order and suppliers' *acceptance* thereof, alongwith amendment (s), if any, should be furnished. If the contract

consists of several amendments or several letters exchanged between the importer and the supplier, a consolidated contract should be entered into in substitution. The contract can be processed only if all the documents are complete, along with those stipulated below.

(ii) Photo copy of *import licence* valid for contracting on the date of execution of the contract/acceptance of French supplier of the order placed on him by the importer.

(iii) *Bank Guarantee.*—A Bank guarantee (as in Annexure-II) obtained from a Scheduled Bank authorised by the Reserve Bank of India to deal in foreign exchange.

(iv) Other *Particulars* stipulated in Annexure-III. (Central and State Government Departments, State Electricity Boards and Public Sector Undertakings shall send these particulars in *duplicate*).

The Contract will be proposed as per condition 10 below, only *after* all these documents have been furnished.

10. *Notification Of Contract.*—The contract will be notified by the Department of Economic Affairs to the Counsellor for Economic Affairs, Embassy of France, New Delhi if it is complete and, the documents, including the Bank Guarantee, etc. are in order and the import licence is valid for ordering and is considered eligible for financing under the French Credit.

11. *Effectuation Of Contract.*—The contract will be deemed to have become effective 20 days after its notification by the Department of Economic Affairs, *provided* no objection is raised by the Embassy of France within that period.

12. *Remittance From India.*—No remittances from India are permissible under the import licence issued under the French Credit, except in terms of condition 15 below.

13. *Method of Payment.*—Payments are made to the supplier both from the French Treasury loan and the Buyers' credit, through Banque National de Paris, or the Banque Francaise du Commerce Exterieur, or any other agency in France, on the basis of a "Letter of Instruction" to be issued by the Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, on effectuation of the contract.

14. *Despath of Shipping Documents.*—Immediately after payments have been effected in accordance with the Letter of Instruction referred to above, the original set of documents (negotiable), alongwith details of bank charges (1/8th of the one per cent documentation charge plus tax @ 17.60 per cent thereon) and expenses on postage, will be sent by Banque Nationale de Paris, or the Banque Francaise du Commerce Exterieur, as the case may be to:—

(i) the importer's Bank in India, which has provided the Bank Guarantee [*Vide* condition 9(iii) supra] in the case of importers in the private sector; or

(ii) to the nominated branch of the State Bank of India, or of any one of the fourteen nationalised banks, in the case of Public Sector Undertakings; or

(iii) to the importers direct in the case of the Departments of Central and State Governments, including State Electricity Boards.

15. *Remittances of Bank Charges.*—*Within a week* of receiving the intimation about bank charges, *vide* condition 14 supra from the Banque Nationale de Paris, or the Banque Francaise du Commerce Exterieurs, as the case may be, the Indian Bank will remit the amount of bank charges directly to the French Bank concerned.

For this purpose, necessary rupees will be collected by the Indian bank from the Indian importer, in addition to the amount required under their guarantee *vide* condition 9(iii) supra.

In respect of Central and State Governments and the State Electricity Boards, the remittances of Bank charges mentioned will be arranged by the Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, by debit to the authority concerned. For this purpose those authorities should intimate the charges promptly to the Controller of Aid Accounts.

16. *Time Limit for Effecting Rupee Deposits.*—(i) *Private Sector importer and Public Undertaking.*—Within ten days, at the maximum, of the receipt of the documents mentioned in condition 14 supra, the Bank which has issued the guarantee, or the nominated branch of the State Bank of India, or one of the fourteen nationalised banks in India, will arrange to deposit equivalents of the payments made to the foreign suppliers, as indicated in the invoice together with commission and incidental charges at the rate of 10 per cent *ad valorem*, on the payments made to the suppliers. In addition, interest at 6 per cent per annum, for the actual period between the date of payment to the foreign suppliers and the date of deposit of rupee equivalent shall also be paid into the Government account. The rupee equivalents will be calculated at the composite rate arrived at on the basis of a formula given in Public Notice issued by the Ministry of Foreign Trade No. 15 ITC(PN)/72 dated 28th January, 1972. However, this rate is subject to revision if and when the IMF parity rate of exchange undergoes a change.

(ii) *Government Departments.*—In respect of imports made by the Departments of Central and State Governments (including State Electricity Boards) the documents will be sent direct to the importers, who will ensure that their respective Accounts Officers promptly accept the debits, as and when raised by AGCR, on the basis of advices issued by the Ministry of Finance. The procedure of making deposits will not apply in their case.

17. *Bank's Responsibility.*—It will be the responsibility of the Indian Bank which has given the guarantee or the State Bank of India, or one of the 14 nationalised banks, as the case may be, to arrange for the timely deposits of these amounts *before* handing over the original documents to the importer.

18. *Method of making Rupee Deposits.*—Deposits may be made either at the Reserve Bank of India, New Delhi, or the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6, or remitted by means of a demand draft from the local branch of the State Bank of India, or its subsidiaries, drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6, for credit to the Central Government Account in terms of Import Trade Control Public Notice No. 233-ITC(PN)/68, dated the 24th October, 1968. The challan should *inter alia* indicate the amount of foreign exchange, the composite rate applied, the date on which the supplier was paid and the date of rupee deposit and all other essential particulars prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71, dated 5th October, 1971. The principal amount, the incidental charge at the rate of 1 per cent *ad valorem* and the interest payment at 6 per cent should be shown separately. The demand draft should be sent direct to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6, with Treasury Challan (duly filled in and signed by remitter) in quadruplicate. The Head of Account to be credited is "T-Deposits and Advances Part II-Deposits not bearing interest deposit Accounts—Departmental and Judicial Deposits—Civil Deposits—Deposits for purchases abroad under Direct Payment procedure as applicable to foreign credits—under the detailed head, "value of goods under the FF 150,00 million French Credit 1972-73"

19. *Reporting Rupee Deposits to Government of India.*—One copy of the challan from the Reserve Bank of India, or the State Bank of India, or intimation regarding the furnishing of Demand Draft to State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6, should be sent by the Bank concerned to the Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-1.

ANNEXURE I

*Illustrative List of Documents*

*Para* 7(*iii*)

1. Commercial invoice for the value of the equivalent shipped and for details of any down payments, as the case may be.

2. Complete set of clean-on-board ocean or charter party bills of lading or Air Way Bills, as the case may be, with packing lists where applicable; certificates, if any prescribed in the contract.

3. Written attestation from the suppliers alongwith necessary customs documents, certifying that the French suppliers have complied with the percentages of foreign expenses authorised by the French Government.

4. Any other documents.

ANNEXURE II

*Bank Guarantee Bond*

To

The President of India.

In consideration of the President of India (hereinafter called the Government) having agreed to arrange for payment in FF for import of..... by..... (hereinafter called the importer) .....under the terms and conditions of the French Credit and in pursuance of Import Licence No..... issued on.....in favour of the importer against the above mentioned credit, we.....Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit within ten days of the receipt of the advice of payment Indian rupees equivalent to FF..... converted at the composite rate of exchange of FFI arrived at on the basis of the formula given in Public Notice issued by the Ministry of Foreign Trade, New Delhi, No. 15 ITC(PN)/72, dated 28th January, 1972 and notified from time to time along with commission and other charges @ 1 per cent *ad valorem* converted at the above rate for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Account as indicated by the Government of India under the said credit, together with interest thereon at the rate of 6 per cent per annum, from the date of payment to the French supplier to the date of deposit of rupee equivalent for credit to the Government account. We shall arrange the deposit to the credit of the Government in the Reserve Bank of India, New Delhi, State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6, or where this may not be feasible by means of a Demand Draft drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (for credit to Central Government Account). The demand draft shall be sent direct to State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 along with Treasury Challan (duly filled in and signed by remitter), in quadruplicate.

2. We the.....Bank, also undertake that the negotiable set of import documents will be released to the importer *only after the rupee deposits contemplated above have been made.*

3. We the.....Bank, also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may direct, such sums not exceeding Rs.....or any part thereof, for the time being due and payable by the importer together with interest thereon at the rate of six per cent per annum from the date of payment to the French Supplier and commission and other charges at the rate of 1 per cent *ad valorem*. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us, ..... Bank, shall be final and binding on us..... .....Bank,

4. We .....Bank, further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in IMF parity rate of exchange or otherwise, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place, in proportion to this change.

5. We.....Bank, futher agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract regarding delivery of the equipment and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

6. The Guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the.....Bank, and the Government shall have the fullest liberty without the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exerciseable by it against the importer and either to enforce payment by the importer of any of the amount the payment whereof is intended to be hereby secured and the..... Bank, shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matter aforesaid or by reason of time being to the importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government of any indulgence by the Government to the importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the..... Bank, from its such liability.

7. We .....Bank, lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency, except with previous consent of the Government, in writing.

8. Our liability under this guarantee is normally restricted to Rs. *..... (plus interest charges not excepted to exceed one per cent of the guaranteed amount) and this guarantee shall remain in force till the.....day† of..... (Month) 19.....

9. We, however, undertake to make such additional deposits as may be necessary in terms of Public Notice No. 15 ITC(PN)/72, dated 28th January, 1972, as notified from time to time. Unless claims under this guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter, *i.e.* upto....., all rights of the Government of India under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Date the.....day of.....for... .....

Accepted for and on behalf of the President of India by Shri.....

(Name and designation)

Signature.....

*Note.*—The value of the Stamped paper on which guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps.....

*This amount should be worked out by adding 1 per cent to the value of the contract at the Central rate of 1 FF=Rs. 1.422.

†This date shall be arrived at by adding one Month to the date by which all payments to the Suppliers are expected to be finalised.

ANNEXURE III

*(Only one Copy by the importers in private sector) (in duplicate by the Public Sector Undertakings. Central and State Government Departments including State Electricity Boards)*

To

The Secretary,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
WE. I Section, North Block,
*New Delhi*-1.

Sir,

SUBJECT.—*Import under the French Credit*

In connection with the import of .....(short description of the goods or services).....

from France under the above credit, we furnish the following particulars:—

(a) Name and address of importer.

(b) Number, date, value and last date of validity of the import licence for ordering, and (ii) shipments.

(c) Name and address of the French Suppliers;

(d) Date of the contract:

OR

Date of Suppliers letter of acceptance of the orders placed against the licence.

(e) Value of the contract:

FOB price:

Freight:

Insurance: .....

Total:.....

(f) Short description of the goods to be imported:

(g) Terms of payment under the contract:

(h) The date on which payments under the contract will fall due in respect of advance payments and other payments:

(i) The dates on which the equipment will be shipped or services performed together with the value of each shipment, or service performed, based on the delivery schedules, or stipulations in the contract:

2. Ten certified copies of the contract (or each of the order and the letter of acceptance) and of the amendment (if any), and a *photostat* copy of the import licence are enclosed.

*†3. A bank guarantee established by.....
.....
.....
.....
.....
name and address
of the Indian Scheduled bank, authorised to deal in foreign exchanged)
and which has been duly adjudicated by the Collector of Stamps, in accordance with Section 31 of the Stamp Act 1899, is also attached.

†Applicable only to importers in private sector.

or

*†3. The import documents may be sent to the

(complete name and postal address of the branch of the State Bank of India or of any of the 14 nationalised banks)
who will release the documents to us only after making the deposits of rupee equivalents into Government account calculated at the composite rate of exchange arrived at on the basis of the formula given in Public Notice No. 15 ITC(PN)/72 dated 28th January, 1972 and reproduced in RBI Bombay A.D. Circular No. 11 dated 17th February, 1972 or as notified from time to time, with interest at 6 per cent per annum, from the date of payment to the French suppliers to the date of deposit of rupee equivalent and commission and incidental charges at 1 per cent *ad valorem* and bank charges (1/8th of one per cent documentation charges plus tax @ 17.60 per cent thereon and expenses for actual postage charges) as required under para. 15 of the licensing conditions.

†Applicable to the Public sector Undertaking.

or

*§3. Debits relating to the transactions and adjustable in the books of.....

(Designation complete postal Address of the Accounts Officer)
and we shall ensure that they are adjusted as soon as they are raised in terms of para 15 of the licensing conditions.

§Applicable to Departments of Central & State Governments (including State Electricity Boards).

4. You are requested to get the contract approved for financing under the French Credit and issue necessary authorisation to the French authorities to arrange for payments to the suppliers or their bankers.

Yours faithfully,
Licensee.

*Delete whichever is not applicable.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियन्त्रण

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1972

विषय :—निजी तथा सार्वजनिक (परियोजना तथा गैर-परियोजना भाग भी) दोनों क्षेत्रों में 1972—73 के लिए फ्रेन्च क्रेडिट के सम्बन्ध में लाग होने वाली लाइसस शर्तें।

**संख्या 112—आई०टी०सी० (पी एन)/72.**—निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए 1972—73 के लिए फ्रेन्च क्रेडिट के अधीन आयात लाइसेंसों के निर्गमन को शासित करने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है उन्हें व्यापारियों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है । ये लाइसेंस शर्तें परियोजना तथा गैर-परियोजना भागों के लिए भी लागू होंगी ।

परिशिष्ट

फ्रेन्च क्रेडिट के लिए 1972—73 के लिए निजी तथा सरकारी क्षेत्रों (परियोजना तथा गैर-परियोजना भाग भी) के सम्बन्ध में लागू होने वाली लाइसेंस शर्तें।

1. **आयात लाईसेंस :**

आयात लाइसेंस **आदेश देने के लिये** चार महीने की और लदान पूर्ण करने के लिए 12 महीने की प्रारम्भिक वैधता अवधि के साथ लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर जारी किया जाएगा । लाइसेंस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आयातक को आयात लाइसेंस की प्राप्ति के तथ्य से आर्थिक कार्य विभाग (डब्लुय—ई—1 अनुभाग) को सूचित करना चाहिए और आदेश देने के लिए वैधता की अवधि के भीतर लाइसेंस के मद सभरण सर्वदा प्रस्तुत करनी चाहिए । संविदा नीचे की शर्तें 9 में निर्धारित पूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

यदि पूर्ण संविदा दस्तावेज चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किए जाते तो यह समझा जाएगा कि इस शर्त का अनुपालन नहीं किया गया है ।

यदि चार महीने की अवधि के भीतर इस अनुबन्ध का पालन नहीं किया जाता है तो इस अवधि के भीतर संविदा पूर्णत हो सकने के कारण देते हुए लाइसेंस को **आदेश देने के लिये पुनर्नधिकरण के लिये** मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात/संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को प्रस्तुत किया जा सकता है । मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात/संयुक्त मुख्यन नियंत्रक, आयात-निर्यात को भेजे गए पत्र की एक प्रतिलिपि आर्थिक कार्य विभाग डब्लूय-ई-1 अनुभाग) को भी जा सकती है ।

पुनर्वेधीकरण के लिए आवेदनों पर आर्थिक कार्य विभाग से परामश करके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा और यदि आवेदन स्वीकार किया गया तो वह अधिकतम तीन महीनों की और अवधि के लिए आदेश देने के लिए पुनर्वध किया जाएगा ।

2. **आदेश देना** :

आदेश पक्की कीमतों के आधार पर लाइसेंस की पूर्ण धनराशि के लिए फ्रान्सिसी संभरकों को दिया जाना है ।

फ्रन्च क्रेडिट के गैर-परियोजना सेगमेन्ट के लिए निर्धारण के मामले में सामान्यतया निम्नलिखित धारा की व्यवस्था के अधीन पूर्ण धनराशि के लिए एक ही संविदा करनी चाहिए । वित्तीय उलझनों वाला कोई संशोधन बाद में संविदा में नहीं किया जाएगा ।

गैर-परियोजना के अन्तर्गत उपस्कर के आयात के मामले में एक से अधिक संविदा की जा सकती है बशर्ते कि ऐसा करने के लिए आदेश देने से पहले कारण बताते हुए वित्तीय कार्यविभाग से विशेष रूप से अनुमति प्राप्त कर ली गई हो ।

1972–73 के लिए क्रेडिट समझौते के अधीन भारत सरकार को कताओं को संभरकों के क्रेडिट द्वारा प्रतिस्थापित करने का विकल्प है बशर्ते कि ऐसा रास्ता लाभकारी हो । इसलिए, यह आवश्यक समझा गया है कि भारतीय आयात जिन्हें फ्रान्सिसी क्रेडिट के परियोजना अंश में से 50 लाख फ्रान्सिसी फ्रेन्क का और इससे अधिक का निर्धारण दिया गया, उन्हें पस्कर के संभरण के लिए क्रेडिट की निम्नलिखित शर्तों पर फ्रान्सिसी संभरकों से निवेदित भाव आमंत्रित करने चाहिए; संविदा मूल्य के 5 प्रतिशत तक तत्क्षण भुगतान, पोतलदान पूर्ण हो जाने के बाद 6 महीनों में शुरू हो कर 10 वर्षों की अवधि में अधिशेष का भुगतान और वित्तीय खर्चे, यदि कोई हो, तो उसके संहित भारतीय आयकर से मुक्त 6 प्रतिशत साधारण की दर से ब्याज/भारतीय आयातक को नीचे पैरा 6 में निर्दिष्ट भुगतान की शर्तों के आधार पर भी निवेदित भाव आमंत्रित करने चाहिए । इस आंकड़े के आधार पर भारत सरकार आयातों में वित्त लगाने के तरीके का निश्चय करेगी और जो तरीका आयातक अपना सकता है उसका परामर्श देगी ।

3. **संविदाओं की शर्तें** :

संविदा लागत-बीमा-भाड़ा आधार पर या लागत-भाड़ा आधार पर फ्रान्सिसी फ्रन्कों में स्थापित होना चाहिए और प्रत्येक घटक के लिए संविदा मूल्य का जहाज पयन्त निशुल्क भाड़ा और बीमा अलग अलग स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए ।

एक फ्रान्सिसी फ्रैन्क –1.422 रुपये की वर्तमान केन्द्रीय दर पर मूल्य की संगणना करनी चाहिए ।

यदि किसी समय आई० एम० एफ० भारतीय रुपये और फ्रान्सिसी फ्रेन्क के विनिमय समानता निर्धारित करता है तो विनियम की उपर्युक्त दर संशोधन के अधीन है ।

4. **संविदाओं की मूल्य सीमा :**

नीचे उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों में आने वाली प्रत्येक संविदा का मूल्य प्रत्येक श्रेणी के सामने निर्दिष्ट की गई धनराशि से कम नहीं होना चाहिए :—

| | फ्रान्सिसी फ्रेन्क मिलियन | (लाख रुपये) |
|---|---|---|
| (1) वृहत् औद्योगिक परियोजनाएं . . | 5.00 | (71.100) |
| (2) भारी उपस्कर के लिए परियोजनाएं . . | 5.00 | (71.100) |
| (3) उर्वरक . . . . | 0.50 | (7.110) |
| (4) पूजीगत माल . . . . | 0.20 | (2.844) |
| (5) अन्य माल . . . . | 0.05 | (0.711) |

5. **माल का उद्गमस्थान :**

जब तक फ्रान्सिसी प्राधिकारियों द्वारा माल के किसी भाग के लिए गैर-फ्रान्सिसी मूल का होने की अनुमति नहीं दी जाती तब तक माल फ्रान्स-उत्पादित होना चाहिए । माल के उद्गम के विषय में एक अनुबन्ध होना चाहिए और जब कभी आवश्यक हो तो तीसरे देश को आयातों के लिए फ्रान्सिसी अधिकारियों के अनुमोदन का साक्ष्य देते हुए एक पत्र संविदा के साथ होना चाहिए । लेकिन, यदि आवश्यक हो, तो माल गैर-फ्रान्सिसी पत्तनों से लादा जा सकता है ।

6. **भुगतान की शर्तें :**

(1) **अग्रिम भुगतान** :—जब तक किसी विशेष प्रकार के सम्बन्ध माल के लिए इस विषय में सामान्य अन्तराष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रक्रिया के अनुसार क्रेता और विक्रेता के बीच अन्य शर्तें निश्चित नहीं हो जातीं तब तक संभरण की कीमत के 5 प्रतिशत का अग्रिम भुगतान संविदा प्रभावी होते समय किया जा सकता है ।

लेकिन, यदि 5 प्रतिशत से अधिक धनराशि अग्रिम भुगतान के रूप में देनी है तो कोई वायदा करने से पहले पूर्ण औचित्य के साथ वित्तीय कार्य विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए ।

(2) **अन्य भुगतान** :—

(क) **औद्योगिक परियोजनाएं**:—संविदा के अन्तर्गत तत्क्षण भुगतान की धनराशि से अलग शेष धन राशि उपस्कर के आखिरी पोतलदान के समय, या स्थापना के पूर्ण करने के समय या संयन्त्र चालू करने के समय चुकाने की अनुमति है ।

लेकिन, परियोजना की किस्म को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक परियोजनाओं की संविदाओं के लिए भुगतान भी नीचे (ख) में संदर्भित पण्यों के भुगतान के समान ही किया जा सकता है ।

(ख) **पण्य** :— पण्यों (हल्के उपस्कर, फालतू पुर्जे, संघटक, रासायनिक, उर्वरक, कच्चा माल आदि) की संविदाओं में तत्क्षण भुगतान के बाद की शेष धनराशि प्रत्येक पोतलदान में शामिल किए गए माल के मूल्य के अनुसार, पोत परिवहन अनुसूची के आधार पर यथानुपात देय होगी ।

7. **संविदा में अनुबन्धित की जाने वाली शर्तें :**

संविदा करने वाली पार्टियों द्वारा आवश्यक समझी गई शर्तों के अतिरिक्त, फ्रान्सिसी क्रेडिट के अन्तर्गत संविदा को अर्थप्रबन्ध के लिए उपयुक्त बनाने के लिए नीचे दी गई शर्तों को संविदा में उचित रूप से समाविष्ट करना चाहिए :—

(1) यह कि संविदा भारत-फ्रांस वित्तीय नयाचार के अनुसार फ्रान्स क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तयुक्त करने के लिए भारतीय और फ्रान्सिसी प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन होगी, जिसके अनुसार फ्रान्सिसी क्रेडिट, फ्रान्सिसी राजकोष ऋण और क्रेता के क्रेडिट का मिश्रण होगा । प्रत्येक संविदा इन दोनों से बराबर बराबर अर्थयुक्त की जाएगी ।

(2) यह कि संभारकों या उनके बैंकों का संविदा के मूल्य का प्रथम 50 प्रतिशत तक फ्रान्सिसी राजकोष ऋण में चुकाया जाएगा और उनको बाकी 50 प्रतिशत भुगतान नीचे की शर्त 13 के अनुसार क्रेता के क्रेडिट से किया जाएगा ।

(3) यह कि संभरकों द्वारा भुगतान दस्तावेज की चार प्रतियों में (यदि आयातक को एक सेट से अधिक आवश्यकता है तो प्रतियों की यह संख्या बढ़ाई जा सकती है) बैंक नेशनल डि पेरिस, 16 बोलवार्ड डेस इटालियन्स, पेरिस (9 ई) को या बैंक फ्रेन्काइज ड्यू कामर्स एक्सटेरियर, 21 बोलवार्ड हस्मन, पेरिस (9 ईएमई) को, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करने चाहिए; यह बैंक आवश्यक भुगतान करने के लिए स्वयं या फ्रान्स की किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से व्यवस्था करेगा । प्रत्येक संविदा में भुगतान दस्तावेज प्रस्तुत करना निर्धारित होना चाहिए । दस्तावेजों की निदर्शी सूची अनुबन्ध 1 में दी गई है ।

(4) यह कि संविदा-मूल्य का जहाज पर्यन्त निशुल्क लागत, भाड़ा और बीमा तत्वों में अलग-अलग विश्लेषण किया गया हो ।

(5) यह कि भुगतान की शर्तें जैसे संविदा प्रभावी होने पर देय धनराशि और पोतलदानों/परियोजना आदि के पूर्ण होने पर इन के लिए देय धनराशि, नियमबद्ध शर्तों में, वितरणों/भुगतानों की अनुसूची दर्शाते हुए विस्तार सहित प्रदर्शित होनी चाहिए ।

8. **प्रचलित गारंटी :**

कोई प्रथागत गारंटी जो उसके हित की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकती है, उसको प्राप्त करने की व्यवस्था वह कर सकता है ।

9. संविदा दस्तावेजों को प्रस्तुत करना :

आदेश देने के 20 दिनों के भीतर आयातक को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक पत्र वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई–1 अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजना चाहिए :—

(1) **संविदा की दस** प्रमाणित प्रतियां और अंग्रेजी भाषा में विधिवत् निष्पादित और भारतीय आयातक तथा फ्रान्सिसी संभरक दोनों द्वारा हस्ताक्षरित आगे के संशोधन/ आयातक द्वारा दिया गया आदेश फ्रान्सिसी संभरक की स्वीकृति के बिना संविदा

नहीं समझा जाएगा । यदि किसी मामले में संभरक का स्वीकृति पत्र फ्रान्सिसी भाषा में हो तो अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद देना चाहिए । ऐसे मामले में जिसमें संविदा केवल एक ही दस्तावेज के रूप निष्पादित नहीं की गई है तो ऐसे मामले में आयातक के आदेश और संभरक द्वारा उस आदेश की **स्वीकृति** दोनों की दस प्रमाणित प्रतियां संशोधन (नों) के साथ यदि कोई हो, तो प्रस्तुत करनी चाहिए । यदि संविदा में कई संशोधन किए गए हों या आयातक और संभरक के बीच कई बार पत्र-व्यवहार हुआ हो तो इन के स्थान पर एक समेकित संविदा करनी चाहिए । संविदा केवल तभी तैयार की जा सकती है जबकि नीचे निर्धारित किए गए दस्तावेजों के साथ सभी दस्तावेज पूर्ण हों ।

(2) आयातक द्वारा फ्रान्सिसी संभरक को दिए गए आदेश के फ्रान्सिसी संभरक की संविदा/स्वीकृति के निष्पादन की तिथि को संविदा के लिए वैध आयात लाइसेंस की फोटो कापी ।

(3) **बैंक गारन्टी** : रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा प्राधिकृत विदेशी मुद्रा का व्यवसाय करने वाले अनुसूचित बैंक से प्राप्त की गई एक बैंक गारंटी (अनुबन्ध–2 के रूप में) ।

(4) अनुबन्ध–3 में निर्धारित किए गए अन्य ब्यौरे (केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभाग, राज्यों के विद्युत् बोर्ड और सार्वजनिक संस्थान इन ब्यौरों को **दो प्रतियों** मे भेजेंगे) ।

संविदा केवल उन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत कर दिए जान के **बाद ही** निम्नलिखित शर्त 10 के अनुसार तैयार की जाएगी ।

10. **संविदा की अधिसूचना** :

यदि संविदा पूर्ण है और बैंक गारन्टी आदि सहित दस्तावेज ठीक हैं और आदेश देने के लिए आयात लाइसेंस वैध है और इसे फ्रेंच क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आर्थिक कार्य के लिए परामर्शदाता, फ्रांस के राजदूतावास को अधिसूचित किया जाएगा ।

11. **संविदा का कार्यान्वयन** :

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संविदा की अधिसूचना के 20 दिन के पश्चात् इसे प्रभावित माना **जाएगा बशर्ते** कि इन 20 दिनों के बीच फ्रांस के राजदूतावास द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं **उठाई** जाती है ।

12. **भारत से प्रेषण** :

नीचे उल्लिखित शर्त 15 को छोड़कर फ्रेंच ऋण के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंस के अधीन भारत से किसी अन्य शर्त के अनुसार धन प्रेषण की अनुमति नहीं है ।

13 **भुगतान की विधि** :

संविदा कार्यान्वयन होने पर, संभरकों के लिए फ्रांसिसी राजकोष और क्रेताओं के खाते से भुगतान, सहायता लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए "प्राधिकरण पत्रों"

के आधार पर बैंक्यू नैशनली डी पेरिस अथवा बिक्यू फ्रांसेज डयू बैक्यू एक्सटीरियर, अथवा फ्रांस में किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से किए जाते हैं ।

14. **पोतलदान सम्बन्धी दस्तावेजों को भेजना** :

उपर उल्लिखित अनुदेश पत्र के अनुसार भुगतान प्राप्त होने के तुरन्त बाद बैंक प्रभारों (1 प्रतिशत दस्तावेजीकरण प्रभारों का 1/8 उस पर 17.60 प्रतिशत की दर से टैक्स के साथ) और वास्तविक डाक खर्चों के प्रभारों के साथ दस्तावेजों के मूल सैट (परक्राम्य) जैसा भी मामला हो, बैंक्यू नैशनली डी पेरिस अथवा बैंक्यू फ्रांसेज डयू कामर्स एक्सटीरियर, द्वारा निम्नलिखित को भेजे जायेंगे :—

(1) भारत में आयातक के उस बैंक को जिसने निजी क्षेत्र के आयातकों के मामले में बैंक गारंटी [देखिए उपर्युक्त शर्त 9(iii)] प्रदान की थी; अथवा

(2) सरकारी क्षेत्र के मामले में, स्टेट बैंक आफ इंडिया की नामित शाखा को या 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी एक बैंक को; अथवा

(3) विद्युत बोर्ड सहित केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभागों के मामले में सीधे आयातकों को ।

15. **बैंक प्रभारों का प्रेषण** :

बैंक्यू नेशनली डी पेरिस अथवा बैंक्यू फ्रेन्चयइज डयू कामर्स एक्सटीरियर, जैसा भी मामला हो, द्वारा बैंक प्रभारों के विषय में सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर ही देखिए उपर्युक्त शर्त 14 भारतीय बैंक सीधे ही संबद्ध फ्रेंच बैंक को बैंक प्रभारों की राशि प्रेषित करेगा ।

इस प्रयोजन के लिए भारतीय बैंक द्वारा और भारतीय आयातकों द्वारा उनकी गारंटी के अन्तर्गत अपेक्षित राशि के अलावा, आवश्यक रुपया लिया जाएगा देखिए उपर्युक्त कंडिका 9(iii) ।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और राज्य विद्युत बोर्ड के मामले में उल्लिखित बैंक प्रभारों के प्रेषण की व्यवस्था संबद्ध प्राधिकारी को क्रेडिट द्वारा, सहायता लेखा नियंत्रण, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए उन प्राधिकारियों को चाहिए कि वे शीघ्रातिशीघ्र बैंक प्रभारों के बारे में सहायता लेखा नियंत्रक को सूचित करें ।

16. **रुपया निक्षेप को प्रभावी करने के लिए समय की सीमा** :

(1) **निजी क्षेत्र के आयातक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम** : उपर्युक्त शर्त 14 में उल्लिखित दस्तावेजों की प्राप्ति से अधिक से अधिक 10 दिनों के भीतर वह बैंक जिसने गारंटी जारी की है, या स्टेट बैंक आफ इंडिया की नामित शाखा या 14 राष्ट्रीयकृत बैंक जैसा कि बोजक में निर्दिष्ट है, कमीशन तथा सभरकों को किए गए भुगतानों पर यथा मूल्य 10 प्रतिशत की दर से अनुषंगिक प्रभारों सहित विदेशी संभरकों को किए गए भुगतान के बराबर रुपए सरकारी लेखे में निक्षेप करने की व्यवस्था करेगा । इसके अतिरिक्त, विदेशी संभरकों को भुगतान की तिथि से तथा समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि के बीच की वास्तविक अवधि तक के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी सरकार के लेखे में जमा कराया जाएगा । समतुल्य रुपए की गणना विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना संख्या 15 आईटीसी (पीएन) /72, दिनांक 28-1-72 में दिए गए फार्मूले के आधार पर निश्चित की गई मिली जुली दर के हिसाब से की जाएगी । लेकिन, यदि कभी विनिमय की अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि समानता दर में परिवर्तन होता है तो यह दर परिशोधित के अधीन होगी ।

(2) **सरकारी विभाग** : केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभागों द्वारा (राज्य विद्युत बोर्ड सहित) किए गए आयातों के सम्बन्ध में दस्तावेज सीधे आयातकों को भेजे जायेंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सूचना पत्रों के आधार पर जैसे हो और जब महालेखानियंत्रक केन्द्रीय राजस्व द्वारा मांगा जाएगा तो उनके अपने लेखा अधिकारी जमा को तुरन्त स्वीकार करेंगे। इन मामलों में नकद निक्षेप करने की कार्यविधि लागू नहीं होगी।

17. **बैंक का उत्तरदायित्व** :

यह जिम्मेदारी इंडियन बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया या 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से उस, एक बैंक की होगी जिसने गारंटी दी है कि आयातकों को मूल्य दस्तावेजों सौंपने से पहले इन धन राशियों के सामयिक निक्षेप करने की व्यवस्था करे।

18. **रुपया निक्षेप करने की विधि**

निक्षेप या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली, या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली 6 में किए जायेंगे अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया की स्थानीय शाखा या इसके उपसंगी से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी शाखा, दिल्ली 6 के नाम में और क्रेडिट के लिए उसे केन्द्रीय सरकार के लेखे में जमा करने के लिए आयात व्यापार नियंत्रण सार्वजनिक सूचना संख्या 233—आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-1968 के अनुसार धन प्रेषण किया जाएगा। अन्य बातों के साथ चालन में विदेशी मुद्रा विनिमय की धन राशि लागू मिश्रित दर पर संभरकों को भुगतान की तिथि और रुपया निक्षेप करने की और अन्य सभी आवश्यक ब्यौरे जो सार्वजनिक सूचना सं० 132—आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-1971 में निर्धारित किए गए है, संकेतित होने चाहिए। मूल्य धनराशि, 1 प्रतिशत यथामूल्य की दर से आनुषंगिक प्रभार और 6 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान को अलग अलग दिखाया जाना चाहिए। दर्शनी हुंडी राजकोष चालान (विधिवत् पूर्ण और प्रेषक द्वारा हस्ताक्षरित) सहित चार प्रतियों में स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी, दिल्ली-6 को सीधे भेजी जानी चाहिए। लेखा शीर्षक जिसमें धन जमा होना है वह 'टी.—डिपोजिटस एंड एडवांसिज पार्ट-2- डिपोजिटस नाट अर्निंग इंट्रेस्ट डिपोजिट अकाउन्ट्स-डिपार्टमेंटल एंड जूडिसियल डिपोजिट्स-सिविल डिपोजिटस-डिपोजिटस फार परचेजिज एण्ड अन्डर डाइरेक्टपेमेंट प्रामिजर एज एप्लिकेबल टू फारेन क्रेडटस-अन्डर दि डिटेण्ड, "वैल्यू आफ गुड्स अन्डर दि एफ एफ 150.00 मिलियन फ्रेंज क्रेडट 1972-73" होगा।

19. **भारत सरकार को रुपया निक्षेप करने के लिए रिपोर्ट करना** :—

रिजर्व बैंक आफ इंडिया या स्टेट बैंक आफ इंडिया से चालान की एक प्रति या स्टेट बैंक, आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली 6 को दर्शनी हुंडी प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सूचना सम्बद्ध बैंक द्वारा, सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली—1 को भेजी जानी चाहिए।

**अनुबन्ध I**

**दस्तावेजों की निदर्शी सूची**

[कडिका 7(3)]

1. पोत लदान किए गए उपकरण का मूल्य तथा किसी भी तत्क्षण भुगतान के व्यौरे के लिए, जैसा भी मामला हो, वाणिज्यिक बीजक ।

2. जहां लागू हो पैकिंग सूचिया यदि संविदा मे निर्धारित किए गए हों तो उनके प्रमाणपत्र जैसा मामला हो समुद्री बैंबाक बिल या चार्टर पार्टी पोतलदान बिल अथवा हवाई बिल का पूरा सेट ।

3. आवश्यक सीमा शुल्क दस्तावेजो सहित सभरकों द्वारा लिखित प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित करते हुए कि फ्रांस सरकार द्वारा प्राधिकृत विदेशी व्यय की प्रतिशतता का फ्रांस संभरकों ने अनुपालन किया है ।

4. अन्य कोई दस्तावेज ।

अनुबन्ध 2

बैंक गारंटी बांड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति (जिसे आगे 'सरकार' कहा गया है) के बदले में फ्रेन्च क्रेडिट की शर्तों के अन्तर्गत (इस के बाद इसे "आयातक" कहा गया है) को उपर्युक्त फ्रेन्च क्रेडिट के विपरीत जारी किए गए लाइसेंस सं0————————दिनांक————————के अनुसरण में आयातक द्वारा————————के आयात के लिए फ्रांसिसी फ्रेन्क में भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हुए हम————————उक्त क्रेडिट के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों और उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा करने के लिए आयातक द्वारा प्रार्थना करने पर विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या, 15-आईटीसी (पीएन)-72, दिनांक 28-1-72 द्वारा जारी की गई सार्वजनिक में दिए गए फार्मूले और रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के ए0 डी0 परिपत्र में पुनरूद्धृत या समय समय पर यथा अधिसूचित फार्मूले के आधार पर हिसाब लगा कर एक एफ एफ आई के विनिमय की मिली-जुली दर पर परिवर्तित फ्रान्सिसी फ्रेंक———————— के समतुल्य भारतीय रुपये तथा उपर्युक्त उस के साथ उपर्युक्त दर से परिवर्तित 1 प्रतिशत की दर से कमीशन तथा अन्य प्रभार और इस पर, फ्रान्सिसी संभरक को भुगतान करने की तिथि से ले कर सरकार के लेखे में जमा कराने की तिथि तक के समय के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक दर से सूद, भुगतान की सूचना की पावती की तिथि से 10 दिन के भीतर जमा करने का व्यवस्था करने का एतद्वारा वचन देते है। हम रिजर्व बैंक आफ इन्डिया नई दिल्ली, स्टेट बैंक आफ इन्डिया, तीस जारी शाखा, दिल्ली-6 में सरकार के खाते में निक्षेप की व्यवस्था करेंगे और यह सम्भव नहीं हो सकने की स्थिति में स्टेट बैंक आफ इन्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (केन्द्रीय सरकार के लेखे में क्रेडिट के लिए) के नाम में और रुपको देय दर्शनी हुंडी के माध्यमसे व्यवस्था करेंगे लेकिन हुंडी राजकोष चालान (विधिवत् भरे हुए प्रेषणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित) के साथ चार प्रतियों में स्टेट बैंक आफ इन्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6. को सीधे भेज दी जाएगी।

2. हम————————बैंक, इस बात की भी जिम्मेदारी लेते हैं कि आयात दसतावेजों के परक्राम्य सैट की रिहाई आयतक को केवल तभी की जाएगी जब कि उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जा चुका हो।

3. हम————————बैंक, किसी बकाया धनराशि को जो आयातक द्वारा सरकार को ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से चुकानी हो जैसा कि सरकार निदेश दे तो ऐसी बकाया धनराशि जो ————————रुपये से अधिक नहीं हो या उस का कोई भाग और उस धनराशि के साथ, फ्रेन्च संभरकों को भुगतान की तिथि से आयातक द्वारा जितने समय तक यह देय रहे उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज तथा कमीशन और तथा मूल्य 1 प्रतिशत की दर से अन्य प्रभारों का आयातक द्वारा भुगतान न करने की त्रुटि पाई जाने पर हम क्षति पूर्ति करने का और सरकार को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त रखने का वचन देते हैं। आयातक द्वारा उक्त भुगतान करने की त्रुटि पर या उस की तरफ से हमारे ————————बैंक द्वारा देय धन राशी के सम्बन्ध में त्रुटि होनेपर हमारे———————— बैंक के लिए सरकार का निर्णय अन्तिम और अनिवार्य होगा।

4. हम————————बैंक आगे इस बात पर सहमत हैं कि मुद्रा विनिमय की अन्तर्राष्ट्रीय मीट्रिक निधि समानता दर में या अन्यथा परिवर्तन के परिणामस्वरूप, आयातों के मूल्य में वृद्धि या संविदा के अन्तर्गत माल की शेष सुपुर्दगी के मूल्य में वृद्धि की धनराशि का समायोजन इस गारंटी बांड में उसी तिथि से और उसी अनुपात में कर दिया जाएगा जब से यह परिवर्तन लागू होगा ।

5. हम————————बैंक, इस से भी सहमत हैं कि यह गारंटी साज सामान की सुपुर्दगी के विषय में उक्त करार–संविदा के निष्पादन के समय तक और जब तक इस गारंटी के अधीन या इस की वजह से सारी बकाया धनराशि पूर्णतया नहीं चुका दी जाएगी और इस के दावों की संतुष्टी या अदायगी नहीं कर दी जाएगी, तब तक पूर्णरूपेण लागू और प्रभावी रहेगी ।

6. आयातक या————————बैंक के संविधान में किसी प्रकार के परिवर्तन का इस गारंटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को स गारंटी को प्रभावित किए बिना अपने द्वारा आयातक के विरुद्ध किसी समय या समय समय पर प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को स्थगित करने की और किसी धनराशि जिस का भुगतान इस गारंटी द्वारा आयातक से किया जाना है, आयातक पर लागू करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी और पूर्वोक्त मामले के संदर्भ में आयातक को दिए जाने वाले समय के कारण या सरकार की ओर से इस के द्वारा अनुग्रहपूर्वक आयातक के कोई अन्य धैर्य, कार्य या छूट या कोई अन्य मामला या वस्तु जो कानून में जमानतों से सम्बद्ध कुछ भी हो इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार की इस स्वतन्त्रता————————बैंक को इस के उत्तरदायित्व से मुक्त करने के लिए प्रभाव डालेगी ।

7. हम————————बैंक, अन्त में यह स वचन देते हैं कि सरकार की लिखित रूप से पूर्व सम्पत्ति के बिना इस गारंटी को इस की चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे ।

8. इस गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व————————रुपये–(इस पर ब्याज प्रभार के साथ दी गई गारंटी की धनराशि के 1 प्रतिशत की दर से अधिक होने की आशा नहीं है ) तक प्रतिबंधित है और यह गारंटी———————— दिन ————————(मास) 19 तक लागू रहेगी ।

9. लेकिन, हम ऐसे अतिरिक्त निक्षेप करने का वचन लेते हैं जो समय समय पर अधिसूचित सार्वजनिक सूचना संख्या, 15–आईटीसी (पीएन) 72,दिनांक 18–1–72 की शर्तों के अनुसार आवश्यक हो । जब तक इस गारंटी के अन्तर्गत इस तिथि के छ मास के भीतर लिखित रूप में दावे नहीं किए जाते और इस के बाद जैसे————————तक अगले छह मास के भीतर जब तक इन दावों को क्रियान्वित करने के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता या कोई कार्यवाई नहीं की जाती तो इस गारटी के अन्तर्गत सरकार के सभी अधिकार, समाप्त हो जायेंगे और हम इस में निहित सारे दायित्वों से छुटकारा पा जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे ।

————दिन की तारीख————

कृते————————

श्री————————के द्वारा

(नाम और ओहदा)

भारत के राष्ट्रपति के लिए उन की ओर से स्वीकृति ।

हस्ताक्षर————————

टिप्पणी, यह स्टाम्प पेपर, जिस में यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है ।
उसे कलक्टर द्वारा न्याय निर्णीत किया जाना है ।

†यह राशि संविदा के मूल्य के लिए मिली जुली दर जो 1 एफ एफ –1.422 रुपये है उस में 1 प्रतिशत को जोड़ कर ही निकाली जानी चाहिए ।

††यह तिथि जिस तिथि को संभरकों के लिए सभी प्रकार के भुगतान पूर्ण होने की संभावना है, उस में एक मास जोड़ते हुए निश्चित की जाएगी ।

अनुबन्ध 3

(निजी क्षेत्र के आयातकों द्वारा केवल एक प्रति) (राज्य विद्युत बोर्ड सहित सार्वजनिक स्तर के प्रकम, केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के विभागों द्वारा दो प्रतियों में)

सेवा में,

सचिव,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
डब्ल्यू ई–1 अनुभाग, नार्थ ब्लाक,
नई दिल्ली—1

विषय—फ्रांस ऋण के अन्तर्गत आयात ।

ऊपर उल्लिखित क्रेडिट के अन्तर्गत फ्रांस से ——————————————————
(माल तथा सेवाओं का संक्षिप्त विवरण)
——————————————————का आयात करने के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित ब्यौरा देते हैं—

(क) आयातक का नाम और पता

(ख) लाइसेंस की संख्या, दिनांक, मूल्य और आदेश देने तथा

(2) पोतलदान के लिए वैधता की अन्तिम तिथि

(ग) फ्रेंच संभरक का नाम और पता

(घ) संविदा का दिनांक अथवा
लाइसेंस के मद्दे दिए गए आदेशों की स्वीकृति के संभरक के पत्र का दिनांक

(ङ) संविदा का मूल्य.

पोतपर्यन्त निःशुल्क कीमत :

भाड़ा :

बीमा :

कुल

(च) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण.

(छ) संविदा के अन्तर्गत भुगतान की शर्तें .

(ज) संविदा के अन्तर्गत, अग्रिम भुगतान तथा अन्य भुगशानों के संदर्भ में जिन तिथियों को भुगतान किया जाएगा ।

(झ) जिन तिथियों को उपकरण का पोतलदान किया जाएगा अथवा सेवाएं पूरी की जाएंगी, और इसके साथ-साथ वितरण अनुसूची अथवा संविदा में निर्धारित शर्तों के आधार पर प्रत्येक पोतलदान का अथवा निष्पादित सेवाओं का मूल्य ।

2. संविदा का (अथवा प्रत्येक आदेश तथा स्वीकृति पत्र का) और संशोधन (यदि कोई हो) की 10 साक्ष्यांकित प्रतियां और आयात लाइसेंस की एक फोटो स्टेट प्रति संलग्न की जानी है ।

†3. एक बैंक गारन्टी जो ---------- केवल निजी क्षेत्र के (विदेशी मुद्रा देने के लिए आयातकों के लिए लागू है ।

---

प्राधिकृत भारतीय निर्धारित बैंक का नाम और पता) द्वारा स्थापित की गई है और जो स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलैक्टर द्वारा न्याय-निर्णीति की गई है वह भी संलग्न है ।

या

†3. आयात प्रलेख ----------को सार्वजनिक क्षेत्र प्रकमों के लिए लागू है ।
(स्टेट बैंक आफ इन्डिया की शाखा या राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों में किसी बैंक का पूरा नाम तथा पता) भेजा जा सकता है जो सार्वजनिक सूचना संख्या–15–आईटीसी (पीएन)।72 दिनांक 28–1–1972 और रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, बम्बई ए०डी० परिपत्र संख्या. 11, दिनांक 17–2–72 में पुनरुद्धृत है या समय-समय पर यथा संशोधित है उसमे दिए गए फार्मूले के आधार पर लगाए गए परिवर्तन की मिली-जुली दर पर परिगणित समतुल्य रुपये और फ्रेंच संभरकों को भुगतान करने की तारीख से समतुल्य रुपये जमा करने की तारीख तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज और लाइसेंस शर्तों की कंडिका 15 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित यथा मूल्य की दर पर 1 प्रतिशत कमीशन और आनुषंगिक प्रभारों तथा बैंक प्रभारों (प्रलेखाय प्रभारों के एक प्रतिशत का 1।8 और उस पर 17.60 प्रतिशत की दर से कर तथा वास्तविक डाक प्रभारों के लिए खर्च) के साथ सरकार के लेखे में जमा करने के केवल बाद ही हमें प्रलेख रिहा करेंगे ।

या

†3. सौदे देने से सम्बन्धित नामधाता और ---------- केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों (जिनमें (लेखा राज्य विद्युत बोर्ड शामिल

---

अधिकारी का पद तथा पूरा डाक पता) है) के विभागों के लिए लागू है ।
के बुक में समंजनीय है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जैसे ही वे लाइसेंस नियमों की कंडिका 15 के अनुसार मांगे जाएंगे उसका समंजन कर देंगे ।

4. आप से अनुरोध है कि फ्रैंच क्रेडिट के अन्तर्गत अर्थयुक्त करने के लिए संविदा अनुमोदित करा लें और संभरकों को सीधे भुगतान की व्यवस्था करने के लिए फ्रैंच प्राधिकारियों को आवश्यक प्राधिकरण पत्र जारी करें ।

भवदीय,
लाइसेंसधारी

---

(†. जो लागू नहीं हैं उसे हटा दीजिये)

SUBJECT.—*Submission of applications for licences for import of capital goods.*

**No. 113-ITC(PN)/72.**—Attention is invited to column 6(viii) of form 'E' meant for applications for import of Capital goods, appearing in Appendix 3 (pages 313—323) of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1972-73, according to which the applicants requiring to import Capital goods have to furnish satisfactory documentary evidence from foreign suppliers (*e.g.*, the proforma invoice etc.) in support of the C.I.F. value of the goods sought to be imported.

2. It has been decided that, in future, the proforma invoice or other satisfactory and acceptable evidence in support of the C.I.F. price, furnished with the applications for import of Capital Goods, should indicate separately the amount to be incurred on account of (i) freight and (ii) insurance, as included in the C.I.F. price declared by the applicant in his import application.

3. Import licences for Capital Goods will continue to be issued for C.I.F. value but the licencing authorities will endorse the licence indicating separate amounts in respect of (i) the F.O.B. value of equipment, (ii) freight and (iii) insurance. It will also be a condition of the licence that the amount paid in respect of each of these shall not exceed the amount as specified in the licence or the actual amount charged, whichever is lower

(Sd.) M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Export.

विषय :—पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंसों के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत करना ।

संख्या 113—आई०टी०सी० (पीएन)/72.—प्रपत्र 'ई' के कालम—6(8) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, मतलब यह है कि यह आयात व्यापार नियंत्रण हैंडबुक क्रियाविधि, 1972—73 के परिशिष्ट—3 (पृष्ठ 313—323) में आए हुए पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदनपत्रों के सम्बन्ध में है, जिसके अनुसार उन आवेदकों को जो पूंजीगत माल का आयात करने वाले हैं उनको आयात किए जाने वाले माल के लागत बीमा-भाड़ा-मूल्य के समर्थन में विदेशी संभरकों (अर्थात् प्रपत्र बीजक आदि) से सन्तोषजनक प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करना है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के समर्थन में प्रपत्र बीजक या अन्य संतोषजनक और स्वीकार्य साक्ष्य जो पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदनपत्रों के साथ भेजे गए हैं उन में (1) भाड़ा (2) बीमा के लिए शामिल की गई धनराशि को जैसा कि आवेदक द्वारा उसके आयात आवेदन पत्र में शामिल की गई लागत बीमा भाड़ा कीमत घोषित की गई है उसे अलग अलग संकेतित करना चाहिए ।